न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या : 58/22

1:– बाबुलाल पिता कन्हैयालाल धाकड़ निवासी बदनपुरा तह0 बेगू

...........प्रार्थी

– बनाम –

1:– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एच.डी.एफ.सी. शाखा बेगूँ तह0 बेगू

2:– श्रीमान भूमिधारी तहसिलदार सा. बेगूँ

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

प्रार्थना पत्र आ. धारा 136 एल.आर.एक्ट. प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया है कि मोजा बदनपुरा प0ह0 चेची त0 बेगूँ की खाता संख्या 53 आराजी न0 348/29 रकबा 0.4000 है0 भूमि मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त आराजी का प्रार्थी काबीज हो उपयोग उघोग कर रहा है उक्त आराजी सं. 348/29 को प्रार्थी ने जरिये रजिस्ट्रर विक्रय पत्र से रामेश्वरलाल पिता डालू जी धाकड निवासी बदनपुरा से दिनांक 23–05–'14 को क्रय कि गई थी। क्रय दिनांक से ही रजिस्ट्रर विक्रय पत्र में अकिंत आराजी के पूर्वी भाग में विक्रय पत्र अनुसार मोके पर काबिज हो काश्त कर रहा हु। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी आराजी सं. 29मी. से रकबा 0.400 है0 क्रय की गई थी क्रय की गई थी क्रय उपरान्त मुझ प्रार्थी के नवीन आराजी से. 348/29 बने जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी सं. 348/29 का विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में तरमीम राजस्व रेकॉर्ड में करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने विक्रय पत्र के अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं करके उतर से दक्षिण कर दी गई है जबकि प्रार्थी मोके पर वर्तमान में विक्रय पत्र अनुसार पूर्व से पश्चिम दिशा में काबिज हो काश्त कर रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र फरमाया जाकर आराजी सं. 348/29 की मोके पर कब्जे अनुसार व विक्रय पत्र में अकिंत पूर्वी भाग के अनुसार उत्तर से दक्षिण के बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर विपक्षी सं. 1 की ओर से निम्न अनुसार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी सं. 1 बेकिंग वित्तीय संथान है जिसका कार्य क्षेत्र बेकिंग कार्य करना है एवं विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है जो कि पब्लिक मनी डील करती है। न्यायालय से निवेदन है कि विपक्षी बैंक के पक्ष में रहन हिस्से तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये जब तक विपक्षी सं. 1 की समस्त ऋण की अदायगी नहीं हो जाती है तब तक राजस्व रेकॉर्ड में तब्दील नहीं करने के आदेश फरमाया जाये। विपक्षी सं. 2 की और से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाने के पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] 348/29 रकबा 0.400 है0 भूमि बाबुलाल पिता कन्हैयालाल के नाम हक से दर्ज रेको[illegible] जमाबन्दी 2078 से 2078 आराजी सं. 106,128मी. 235मी. 29मी. 92मी. [illegible] 1.8950 है0 भूमि रामेश्वर लाल पुत्र डालू के खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है नकल [illegible] 23–05–14 जिसमें [illegible]लाल पिता डालू जी धाकड मोजा बदनपुरा के ख[illegible] 19 [illegible]राजीयात के साथ अ[illegible]आराजी सं. 29मी. रकबा 1.242 है0 भूमि अकेले के स्वामित्व में अधिपत्य कब्जे की होकर खातेदारी से दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें से रामेश्वरलाल पिता डालू जी धाकड द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से आराजी सं. 29मी. रकबा 1.242 है0 में से रकबा 0.400 है0 (आराजी का पूर्वी भाग) प्रार्थी बाबुलाल पिता कन्हैयालाल धाकड को विक्रय कि जाकर कब्जा दिया गया है आराजी सं. 348/29 विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में तरमीम करनी थी किन्तु राजस्व ने मोके पर काबीज अनुसार व विक्रय पत्र के अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं करके उतर से दक्षिण में कर दी है जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा में करनी थी। जो दिनांक 23–05–14 के पंजिकृत विक्रय पत्र से सिद्ध होता है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है मोजा ...नपुरा पटवार हल्का चेची के वर्तमान खाता सं. 53 में अकिंत आराजी सं. 348/29मी. रकबा 0. .000 है० भूमि की तरमीम दक्षिण के बजाय पंजिकृत विक्रय पत्र के अनुसार आराजी सं. 348/29 पूर्व से पश्चिम दिशा में राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में तरमीम कीये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जावे।
आदेश आज दिनांक 21.8.2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि :— क्र.स./सारिश्ता/337 दि. 29-8-23

तहसीलदार बेगूं को आदेश की प्रति पालनार्थ।

सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:12 IST
Reason: SelfAttested